



इंडियन रेलवे कैंटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम-मिनी रत्न)
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Enterprise-Mini Ratna)

"CIN-L74899DL1999GOI101707". E-mail : info@irctc.com, Website : www.irctc.com

No. 2020/IRCTC/CS/ST.EX/356

January 29, 2022

BSE Limited (Through BSE Listing Centre) 1 st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 542830	National Stock Exchange of India Limited (Through NEAPS) "Exchange Plaza", C-1, Block-G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Scrip Symbol: IRCTC
--	---

Sub: Newspaper Publication regarding Notice of Board Meeting

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Newspaper advertisement published in the "Business Standard" & "The Indian Express" (in English version) and "Business Standard" & "Jansatta " (in Hindi version) on January 29, 2022 regarding notice of Board Meeting scheduled to be held on February 8, 2022 to inter alia, consider and declare Interim Dividend for FY 2021-22, if any, and to fix record date for the purpose of payment of Interim Dividend, if declared, in addition to consideration of unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2021.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For and on behalf of Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited


(Suman Kalra)
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F9199

Encl: as above

जमानत या पैरोल पर रिहा केरल के कैदियों को कोरोना के महेनजर राहत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार से कहा कि जब राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, तब वह पहले से ही अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर न करे।

न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अगुआई वाली पीठ ने केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्रनाथ से कहा कि कृपया सरकार को निर्देश दें कि जो लोग बाहर हैं और

यहां तक कि जेल में बंद लोगों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई न करें। देखें कि आप उनके साथ क्या कर सकते हैं।

राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के महेनजर पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा कैदियों को आत्म समर्पण करने के लिए विवश करने के केरल सरकार के फैसले खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गर्वई की पीठ ने राज्य सरकार से जेल में कोविड-19 की स्थिति की जांच करने और अभी भी जेल में बंद कैदियों को रिहा करने पर विचार करने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका पर विशेष रूप से महामारी के महेनजर जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे पर विचार किया था और संबंधित राज्यों के अधिकारियों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया था कि क्यों न जेलों में कोविड-19 से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। अदालत ने 23 मार्च, 2020 को आदेश देकर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्धारित करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्देश दिया था कि किस वर्ग के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

बिहार : बलात्कार के मामले में दोषी को मौत की सजा

अररिया, 28 जनवरी (भाषा)।

बिहार के अररिया जिला की एक विशेष ‘पाक्सो’ अदालत ने एक बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

विशेष ‘पाक्सो’ न्यायाधीश शशिकांत राय ने 48 वर्षीय मोहम्मद मेजर को इस जघन्य अपराध में दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। बच्चों के साथ बलात्कार की घटना के एक दिन बाद पीड़िता की मां ने पिछले साल 2 दिसंबर को जिले के थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

गुरिस ने इस वर्ष 12 जनवरी को आरोपपत्र दायर किया था, जिस पर अदालत ने 20 जनवरी को संज्ञान लिया और दो दिन बाद आरोप तय कर मुकदमे की कार्यवाही रेकार्ड समय में पूरी की। ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम’ (पाक्सो) के अलावा एससी/एसटी कानून की धाराओं में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

	केन्द्रीय भण्डारण निगम (भारत सरकार का उपक्रम) 4 / 1, सीरी इस्टीमेशनल एरिया, अमरस क्रान्ति मार्ग, होज बास, नई दिल्ली-110016, फोन: 011-49857894 जन-जन के लिए भण्डारण
स: के.म.नि./नि.का./भेस नोट/2021-22 (ई एनआईटी-सीओ/एनजी-37/21-22)	प्रेस सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित कार्य के लिए ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है-			
क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि
1.	केंद्रीय भंडारण निगम के मयूर विहार में स्थित प्लेटों में सिविल तथा इलेक्ट्रिकल कार्य का नवीनीकरण एवं मरम्मत।	633.46	24.02.2022

1. केंद्रीय भंडारण निगम के भारू बिहार में स्थित बलेटों में स्थिति तथा इलेक्ट्रिकल कार्य का नवीनीकरण एवं मरम्मत। 633.46 24.02.2022

अनुपम की सौ और ई-टेंडर आमंत्रण सूचना सहित विस्तृत निविदा सूचना निगम की वेबसाइट www.cwacac.nic.in या ई-टेंडर वेबसाइट www.cwcep procure.com अथवा सीपीबी पोर्टल <http://eprocure.gov.in/epublish/app> से देखी और खोजनोड की जा सकती है।

इस निविदा संकेत यदि कोई इंडियन/एशियन होना तो वह केवल एग्रेगरेट वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। मुख्य अभियंता (प्रभारी)

	इंडियन रेलवे कैंटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1999GOI101707 पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हावस बाराकला रोड नई दिल्ली-140001 भारत दूरभाष: 011 - 23311283-84, ईमेल आईडी: investors@irctc.com ; वेबसाइट: www.irctc.com
--	--

सूचना

सेबी के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ("लिटिंग विनियम") कि कंपनी के निदेशांक मंडल की बैठक **मंगलवार, 8 फरवरी, 2022** को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश पर विचार करने और घोषित करने के लिए, यदि कोई हो, और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए कंपनी के जलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के अलावा, अंतरिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य के लिए रिफाईं तिथि तय करने के लिए, यदि घोषित किया गया है। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.irctc.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं पर भी उपलब्ध है।

कृते इंडियन रेलवे के टेंटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ता /-
स्थान: नई दिल्ली सुमन कालरा
दिनांक: 27 जनवरी, 2022 कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



NSE
National Stock Exchange of India Ltd.
'Exchange Plaza', Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051

NOTICE

Notice is hereby given that the following Trading Member of the National Stock Exchange of India Limited (Exchange) has been expelled from the membership of the Exchange under Rules 1 and 2 of Chapter IV of NSEIL Rules and declared defaulter under Byelaw 1(a) of Chapter XII of the NSEIL Byelaws:

Sr. No.	Member Name	SEBI Registration No.	Date of declaration of defaulter	Date of expulsion
1.	OMKAM CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED	INB230907934 (CM, Debt segment), INF230907934 (F&O segment), NSE230907934 (CD segment)	28 January, 2022	28 January, 2022

The constituents of the above-mentioned member are hereby advised to lodge claims, if any, in the prescribed claim form, against the above-mentioned members within 3 months from the date of this notice.

All claims submitted by investors will be considered for processing if found due and payable in accordance with Rules, Byelaws, Regulations, guidelines etc. of the Exchange, SEBI circulars and Regulations and the maximum compensation limit per investor is ₹25 lakhs out of the Investor Protection Fund.

The claim can be lodged online on the Exchange portal <https://investorhelpline.nseindia.com/NICEPLUS/welcomeUser> where the relevant documents can be uploaded. A sample claim form and FAQ is made available on the Exchange website <https://www.nseindia.com/invest/details-to-be-provided-for-lodging-claims> for the convenience of the claimants.

Alternatively, the claim form, duly filled and signed, along with the relevant documents may also be sent in physical form to the Defaulters' Section of the Exchange at 'Exchange Plaza', Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051 or at the regional / branch offices of the Exchange. For this purpose, the format of the claim form may be downloaded from <https://www.nseindia.com> or obtained from the corporate office at Mumbai or the regional / branch offices of the Exchange. However, the Exchange urges all claimants to make use of the online claim lodgment facility as mentioned above for better tracking of your claims.

In case of any queries you may contact us on defaultisc@nse.co.in or on toll free number 1800 266 0050 (Option - 5).

For National Stock Exchange of India Ltd.
Sd/-
Place: Mumbai Chief Manager
Date: January 29, 2022 Defaulters' Section





बैंक ऑफ बड़ोदा
www.bankofbaroda.in

बैंक ऑफ बड़ोदा में आंतरिक लोकपाल की भर्ती के लिए सूचना

बैंक ऑफ बड़ोदा किसी अन्य बैंक/ वित्तीय क्षेत्र विनियामक निकाय के ऐसे सेवानिवृत्त (अधिवर्षिता प्राप्त) या सेवारत अधिकारियों से संविदा आधार पर "आंतरिक लोकपाल" के पद हेतु नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है जो उप महाप्रबंधक या इसके समकक्ष पद के हैं।

इससे संबंधित पात्रता मानदंड (आयु, योग्यता और अनुभव), अपेक्षित शुल्क और अन्य विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अधिक जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in में Career Page -> Current Opportunities -> Recruitment of Internal Ombudsman on Contract Basis को देखें।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने और शुल्क जमा करने से पूर्व अपनी पात्रता और अन्य विवरणों को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत विज्ञापन को अवश्य पढ़ें।

इस संबंध में किसी भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/संशोधन को केवल बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क का भुगतान करने की तारीख 29.01.2022 से 18.02.2022 (23:59 बजे) तक है।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29.01.2022

मुख्य महाप्रबंधक
(मानव संसाधन प्रबंधन)

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय : येस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सलाऊज (इंटर), मुम्बई 400055,
ई मेल: communications@yesbank.in, वेबसाइट: www.yesbank.in
CTN:L65190MH12003PLC143249

(नियम 8(1)) कर्जों की सूचना

जबकि, अग्रोहस्ताक्षरकर्ता येस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आसियों का प्रतिनिधित्व एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (का संख्याक 54) (अधिनियम) की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) का संपादित नियम 3 के तहत प्रवर्तन शक्तियों के अनुपयोग में एक मांग सूचना दिनांक 15 मई, 2021 को निर्गमित की जिसमें मांग करने हुए ऋणी (1) मैसर्स रॉटर पेट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी और बंधककर्ता) जयिंद निर्देशकों, (2) श्री जसवीर सिंह (बंधककर्ता और जमानतदार), (3) श्रीमती इरफात कोर (जमानतदार व स्वर्गीय जगमोहन सिंह जौली के कानूनी वारिस), (4) श्रीमती ईशा सिंह (बंधककर्ता और जमानतदार), (5) श्रीमती अमरजीत और जौली (जमानतदार व स्वर्गीय जगमोहन सिंह जौली के कानूनी वारिस), (6) मैसर्स यून प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (बंधककर्ता) को सूचना-पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर रुपये 20,58,38,424/- (रुपये बीस करोड़ अठान्न लाख अड़तीस हजार चार सौ बीबीस मात्र) दिनांक 31 मार्च, 2021 तक तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी आगे के व्याज तथा अन्य खर्चों के साथ की राशि को लौटाने के लिये कहा गया था।

ऋणी, जमानतदारी एवं स्व. जगमोहन सिंह जौली के कानूनी वारिस द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी, जमानतदारी और बंधककर्ता, स्व. जगमोहन सिंह जौली के कानूनी वारिस तथा जनसामान्य को को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अग्रोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपादित उक्त नियमों की नियम 8 के तहत उसको प्रवर्तन शक्तियों के अनुपयोग में एग्रीस्म नोबे वर्णित समिति का कर्ज दिनांक 24 जनवरी 2022 को घणन कर लिया है। ऋणी, जमानतदार, बंधककर्ता एवं स्व. जगमोहन सिंह जौली के कानूनी वारिस को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा संज्ञित के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और समिति के साथ कोई व्यवहार देस बैंक लिमिटेड के रुपये 20,58,38,424/- (रुपये बीस करोड़ अठान्न लाख अड़तीस हजार चार सौ बीबीस मात्र) दिनांक 31 मार्च, 2021 तक व आगे के व्याज एवं लागतों के अन्वेषीन होगा। बैंक को ऋणियों और अन्य से घुटाछाड़ करके स्वर्गीय जगमोहन सिंह जौली के उल्लिखित कानूनी वारिसों के बारे में पता चला है।

ऋणियों का ध्यान प्रसिद्ध आसियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

दस्तावेजों के अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण	औपेक्षिक दस्तावेजों के अनुसार सीमाएं
सम्पूर्ण हितों तल हिस्सा (पूर्ण छत्र अधिकारी सहित) भूमि के प्लॉट नं. 21 पर दो सर्वेड क्वार्टरेंस निर्मित सहित, ऋणांक-एच, क्षेत्रफल 300 वर्गगज जो ग्रेट कैन्सरा, पार्ट-II, नई दिल्ली- 110048 में स्थित, नीचे की भूमि में अविभाज्य प्रो होल्ड अधिकारी पर अधिभाजित 25% के साथ (चिकित्सक विलेख दिनांक 27.06.2003 के अनुसार)	उत्तर - प्लॉट नं. एच-19, पश्चिम- सर्विस लेन, दक्षिण- प्लॉट नं. एस-23, पूर्व- रोड

दिनांक: 24.01.2022
स्थान: दिल्ली

हस्ताक्षर/- वास्ते येस बैंक लिमिटेड
सहित निष्ठावन (उपाध्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी



भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम)
(सी.आई.एन : L32309KA1954GOI000787)
पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045.
ईमेल: secretary@bel.co.in, वेबसाइट: www.bel-india.in.
दूरभाष: 080-25039300, फैक्स: 080-25039266

रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से कहीं अधिक



‘हर एक काम देश के नाम’

दिनांक 31.12.2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के स्टैंडअलोन एवं समेकित लेखा अपरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार											
(₹ लाख में)											
क्र. सं			स्टैंडअलोन						समेकित		
			इस तारीख को समाप्त तिमाही		इस तारीख को समाप्त नौ महीने				इस तारीख को समाप्त तिमाही		
विवरण			31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020
			(लेखा अपरीक्षित)		(लेखा अपरीक्षित)			(लेखा परीक्षित)	(लेखा अपरीक्षित)		(लेखा परीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल राजस्व		3,69,371	3,66,056	2,29,624	8,98,886	7,15,549	14,06,383	3,70,165	3,67,805	2,32,039
2.	कर तथा असाधारण मदों से पहले अवधि का निवल लाभ		78,833	82,774	36,882	1,63,124	1,00,428	2,93,481	79,085	82,650	37,955
3.	कर से पहले तथा असाधारण मदों के बाद अवधि का निवल लाभ		78,833	82,774	36,882	1,63,124	1,00,428	2,93,481	79,085	82,650	37,955
4.	कर और असाधारण मदों के बाद अवधि का निवल लाभ		58,337	61,260	26,186	1,20,712	71,304	2,06,542	59,611	62,461	27,850
5.	अवधि की कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि का लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं]		58,850	63,184	28,786	1,26,490	67,900	1,97,833	60,123	64,385	30,454
6.	चुक्रता इकिटी शेरय पूँजी		24,366	24,366	24,366	24,366	24,366	24,366	24,366	24,366	24,366
7.	अन्य इकिटी, पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षणों को छोड़कर		-	-	-	-	-	10,56,423	-	-	-
8.	प्रति शेरय अर्जन										
	(₹ 1/- प्रत्येक, वार्षिकीकृत नहीं)		2.39	2.51	1.08	4.95	2.93	8.48	2.45	2.56	1.14
	(सतत और बंद प्रचालनों के लिए)										
	मूल व परिवर्तित (₹ में)										
नोट-											
1. उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.bel-india.in) पर उपलब्ध है।											
2. उक्त वित्तीय परिणामों के विवरण की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा 27 जनवरी, 2022 को हुई बैठक में की गई और 28 जनवरी, 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इसे अनुमोदित किया गया।											
निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से											
हस्ता/-											
आनंदी रामलिंगम											
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, (अतिरिक्त प्रभार)											
स्थान- बेंगलूरु											
दिनांक- 28 जनवरी, 2022											

‘वाय आइ किल्ड गांधी’ पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 28 जनवरी।

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफार्म लाइमलाइट पर रिलीज होने वाली फिल्म ‘वाय आइ किल्ड गांधी’ की शूटिंग

पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट

याचिका दायर की गई है। सिकंदर बहल ने वकील अनुज भंडारी के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अनुसार यदि फिल्म की रिलीज और प्रदर्शन को नहीं रोका गया तो इससे राष्ट्रपिता की छवि अपूरणीय रूप से खराब

होगी और सार्वजनिक अशांति, घृणा और वैमनस्य

पैदा होगा। तर्क है कि फिल्म का उद्देश्य नफरत फैलाना और शांति भंग करना है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि फिल्म की रिलीज प्रकाशन या प्रदर्शनी और इससे जुड़ी सभी सामग्री को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।



जमनालाल बजाज फाउण्डेशन

नामांकन आमंत्रित

44 वें जमनालाल बजाज राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार – 2022

गाँधीवादी ‘योद्धाओं’ के लिए

असाधारण व्यक्तित्व - जमनालाल बजाज कुछ ऐसे दिग्गजों में से एक थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नाम न्योछावर कर दिया था. 'कथनी करनी एक-सी' को चरितार्थ करने में और गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को लागू करने में जमनालालजी बहुत आगे निकल गए, चाहे वो खादी हो, दलित-कल्याण, महिला मुक्ति, व्यवसाय में नीति हो या गोसेवा के ज़रिए पशु-धन का संरक्षण हो. यहाँ तक कि महात्मा गाँधी ने उनको अपने 'पाँचवे पुत्र' के रूप में अपनाया था.

पुरस्कार - जमनालालजी की परोपकार की परिकल्पना तथा ग्रामीण विकास की गाँधीवादी विचारधारा का प्रचार करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जमनालाल बजाज फाउण्डेशन संस्था ने चार पुरस्कार स्थापित किए हैं, जो संबन्धित क्षेत्रों में बेहद प्रतिष्ठित माने जाते हैं.



रचनात्मक कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भर समुदाय के निर्माण हेतु महात्मा गांधी के एक या सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा विकास में योगदान के लिए.



महिला विकास एवं बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

केवल महिला के लिए.
महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता, आजीविका के साधन उपलब्ध कराने, सर्वांगीण विकास आदि के लिए.



विदेशों में गांधीवादी मूल्यों के प्रचार के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

केवल विदेशी नागरिक के लिए.
शांति, अहिंसा, प्रकृति के साथ मनुष्य जीवन का सुमेल और नैतिक विवेक जैसे गाँधीवादी सिद्धांतों के भारत के बाहर के देशों में प्रचार में योगदान के लिए.

नामांकन के लिए 3 दिन शेष

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार: 31 जनवरी 2022

ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण: www.jamnalalbajajawards.org/nomination-forms

अधिक जानकारी: www.jamnalalbajajfoundation.org; www.jamnalalbajajawards.org

ईमेल: nominations@jamnalalbajajfoundation.org

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : सचिव, जमनालाल बजाज फाउण्डेशन, दूसरी मंजिल, बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, 226 नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 भारत
फोन: 91-22-22023626 Ext: 241/244/245/249
फेसबुक: <https://www.facebook.com/JBFMumbai>

